न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 75/2007/ जिला–अजमेर (2007/00003)

श्रीमती रूकमा पुत्री श्री घीसा धर्मपत्नी श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम मांगलियावास हाल जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

..... अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती नारायण देवी बेवा श्री मिश्रीलाल जाति जाट निवासी जाखड़ों का मोहल्ला मांगलियावास तहसील पींसागन जिला अजमेर।
2. मैसर्स सुपरमेन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मांगलियावास जरिये डायरेक्टर श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री राम सिंह जाति जैन निवासी मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 08–08–2007
अपील संख्या 81/2005 बउनवान श्रीमति रूकमा बनाम श्रीमति नारायणी देवी

उपस्थित : 1. श्री अजित सिह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक : 28.12.2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात खाता संख्या नया 49 एवं पुराना 46 के हाल खसरा नम्बर 51 रकबा 5–10–00 बारानी–1, खसरा नम्बर 64 रकबा 3–09–10 बारानी–1, खसरा नम्बर 206 रकबा 5–15–0 बारानी–2, खसरा नम्बर 531 रकबा 15 बिस्वा मगरी, खसरा नम्बर 532 रकबा 1–14–00 बारानी–2, खसरा नम्बर 1032 रकबा 2–3–10 चाही–1, खसरा नम्बर 1109 रकबा 1–4–10 चाही 1, खसरा नम्बर 1461 रकबा 2–11–0 बारानी–3, खसरा नम्बर 1464 रकबा 7–4–0 बारानी–2, खसरा नम्बर 1520

रकबा 6–18–0 बारानी–2 कुल किता 10 कुल रकबा 37–04–10 ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के पिता श्री घीसा वल्द हांसा जाति जाट निवासी मांगलियावास की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। घीसा वल्द हांसा की पत्नी की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है जिसकी एक मात्र संतान अपीलांट रूकमा पुत्री घीसा जीवित है लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमति नारायणी के पति श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री बलदेव जाति जाट ने गैर कानूनी रूप से अपने आपको श्री घीसा वल्द हांसा का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 2–9–77 अपने नाम तस्दीक करवा लिया और अपीलांट के पिता की समस्त आराजियात को अपने नाम दर्ज करवाकर उसमें से हाल खसरा नम्बर 532 पुराने 367 रकबा 1–16–00 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को गैर कानूनी रूप से बेचान कर दिया जबकि मिश्रीलाल पुत्र बलदेव अपने पिता का इकलोता पुत्र था जो कि किसी के गोद नहीं जा सकता था। इसके बावजूद अपीलांट के पिता की विरासत गलत रूप से अपने नाम तस्दीक करवा ली एवं वर्तमान में श्री मिश्रीलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसकी पत्नी नारायणी बेवा मिश्रीलाल का नाम दर्ज होने से उसे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बनाया गया है जिसकी प्रथम अपील अपर कलक्टर अजमेर के न्यायालय में की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–8–2007 को मियाद बिन्दु पर ही खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के पिता घीसा पुत्र हांसा की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। मृतक घीसा की एक मात्र जायन्दा पुत्री स्वयं अपीलांट मौजूद है जिसके अलावा और कोई वारिसान नहीं है। अपीलांट की जानकारी में लाये बिना मिश्री लाल पुत्र बलदेव ने अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद गैर कानूनी रूप से अपने आपको घीसा का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 2–9–77 तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलांट के पिता द्वारा किसी को कभी भी गोद नहीं लिया था ना ही गोदनामा लिखित एवं पंजीकृत ही है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पिता की विवादग्रस्त आराजियाज को गैर कानूनी रूप से हड़प करने की नियत से नामान्तरकरण संख्या 5 अपने नाम तस्दीक कराया है। ऐसे अवैध आदेश पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

उनका यह भी तर्क है कि पटवारी हलका द्वारा मृतक घीसा के अपीलांट जायन्दा पुत्री होने के बावजूद उसका नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं कर मिश्री पुत्र बलदेव को अपीलांट के पिता घीसा का दत्तक पुत्र होना बताते हुए नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत कर दिया एंव बिना जांच किये भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाना अंकित करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया जो गैर

कानूनी होने से लैण्ड रेकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट के पिता घीसा साबिक आराजी खसरा नम्बर 367 रकबा 1–16–00 के जमाबंदी चौसाला सम्वत 2020 लगायत 2023 के अनुसार रेकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिनके हाल खसरा नम्बर 532 बनाये गये जिसका मिश्रीलाल द्वारा गैर कानूनी रूप से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को बेचान कर दिया जबकि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसका बेचान करने का मिश्रीलाल को कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार, अजमेर को मिश्रीलाल को घीसा का दत्तक पुत्र घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था एवं न ही उनके समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे मिश्रीलाल घीसा का गोदपुत्र सिद्ध होता हो। फिर भी हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर सक्षम सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार का प्रयोग करते हुए तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो प्रथम दृष्टया शून्य होकर निरस्त योग्य था।

उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलांट को मृतक घीसा का वारिस नहीं माना जा सकता कतई गलत है क्योंकि कोई मौखिक साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं यदि उन्हें अपीलांट का घीसा की पुत्री होने बाबत कोई सन्देह था तो इस वारिसान के तथ्य बाबत राजस्व एजेन्सी से अपर जिला कलक्टर अजमेर जांच करवाकर आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर सकते थे। फिर भी उक्त कथन की पुष्टि में अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सजरा प्रस्तुत कर रही है। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा 27 वर्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करना मानते हुए मियाद पर अपील निरस्त की है जबकि अपीलांट द्वारा उनके समक्ष मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका काई जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पिता की सम्पत्ति की विरासत का नामान्तरकरण पुत्री के नाम तस्दीक करने की बजाय अन्य व्यक्ति को गोद पुत्र बताते हुए तस्दीक कर दिया जबकि तथाकथित व्यक्ति मिश्रीलाल ओलांट के पिता द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया गया था जिससे सिद्ध है कि नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 2–9–77 को अवैध रूप से पारित किया गया उक्त अवैध तथा गैर कानूनी आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–8–2007 तथा नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 2–9–77 निरस्त किया जाकर विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम तस्दीक किया जाकर अभिलेख में अपीलांट का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपील के तथ्यों के आलौक में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मांगलियावास पंचायत समिति पीसांगन द्वारा दिनांक 13–4–2001 को जारी वारिस प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि घीसा पुत्र हांसा जाति जाट ग्राम मांगलियावास का मूल निवासी था इनका पूर्व वर्षो में स्वर्गवास हो गया है। घीसा की मृत्यु पश्चात श्रीमती रूकमा देवी जायन्दा पुत्री है जो विवाहित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नारायण देवी बेवा मिश्री लाल द्वारा घीसा वल्द हांसा जाति जाट द्वारा मिश्री लाल को गोद लिये जाने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं है। तहसीलदार द्वारा विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलांट घीसा वल्द हांसा की विधिक जायन्दा पुत्री है इस बाबत कोई जांच किये बिना केवल मियाद बिन्दु पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट मिश्रीलाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से मृतक की विरासत के नामान्तरकरण के नाम जोड़ने का प्रश्न है तो माननीय न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिए। रेस्पोन्डेन्ट मिश्री लाल के गोद पुत्र होने संबंधी कोई ठोस साक्ष्य भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यह विधि मान्य तथ्य है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार घीसा वल्द हांसा जाति जाट के विधिक वारिसानों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर ही अपना निर्णय पारित कर दिया जो उचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया ऐसे आदेशों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय (अपर जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08–08–2007 अपील संख्या 81/2005 बउनवान श्रीमति रूकमा बनाम श्रीमति नारायणी देवी एवं अन्य तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 2–9–77 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार,

पीसांगन को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षो को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर घीसा वल्द हांसा की विवादग्रस्त आराजियात की मौके पर कब्जे एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर